रजिस्ट्री सं. डी. (डी. एन.)-72 REGISTERED No. D. (D.N.)-72

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 78] नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, फरवरी 28, 1985/फाल्गुन 9, 1906
No. 78] NEW DELHI, THURSDAY, FEB. 28, 1985/PHALGUNA 9, 1906

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके

Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 28 फरवरी, 1985

सं. 18/85-केन्द्रीय उत्पाद शुल्क

सा. का. नि. 106 (अ).—केन्द्रीय सरकार, केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क नियम, 1944 के नियम 8 के उपनियम (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह निदेश देती है कि इससे उपाबद्ध सारणी के स्तम्भ (2) में विनिर्दिष्ट, भारत सरकार के वित्त मंत्रालय, राजस्व विभाग,

की प्रत्येक अधिसूचना का, उक्त सारणी के स्तम्भ (3) की तत्स्थानी प्रविष्टि में विनिर्दिष्ट रीति से संशोधन किया जाएगा।

सारणी

क्रम सं.	अधिसूचना सं. और तारीख	संशोधन
(1)	(2)	(3)
1.	42/84 केन्द्रीय उत्पाद शुल्क, तारीख 1 मार्च, 1984	उक्त प्रत्येक अधिसूचना में, पैरा 2 का लोप किया जाएगा।
2.	45/84 केन्द्रीय उत्पाद शुल्क, तारीख 1 मार्च, 1984	
3.	48/84 केन्द्रीय उत्पाद शुल्क, तारीख 1 मार्च, 1984	
4.	49/84 केन्द्रीय उत्पाद शुल्क, तारीख 1 मार्च, 1984	

[फा. सं. 331/26/84-टी आर यू.]

के. एस. वेंकटगिरि, अवर सचिव,

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Revenue)

New Delhi, the 28th February, 1985

NOTIFICATION

NO. 18/85-CENTRAL EXCISES

G.S.R. 106(E).—In exercise of the powers conferred by sub-rule (1) of rule 8 of the Central Excise Rules, 1944, the Central Government hereby directs that each of the notifications of the Government of India in the Ministry of Finance (Department of Revenue) specified in column (2) of the Table hereto annexed shall be amended in the manner specified in the corresponding entry in Column (3) of the said Table.